# प्रेस नोट

भिवानी (        ) सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च–2020 से सम्बन्धित विद्यालयों को जुर्माना राशि भरने के लिए दिए निर्देश!

इस आशय की सूचना देते हुए बोर्ड अध्यक्ष, डॉ0 जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव, श्री राजीव प्रसाद, एच.सी.एस द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि मार्च–2019 में आयोजित की गई परीक्षा में ड्यूटी पर अनुपस्थित पर्यवेक्षकों के सम्बन्धित निजी विद्यालयों से 5000/–रुपये जुर्माना राशि भरवाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिये थे। सम्बन्धित विद्यालयों को जुर्माना भरने हेतु पत्र डाले गये थे। कुछ विद्यालयों द्वारा यह जुर्माना राशि नहीं भरी गई थी परन्तु समयाभाव एवं परीक्षार्थी हित के दृष्टिगत उनके अनुक्रमांक जारी कर दिये गये थे। जिन विद्यालयों द्वारा 5000/–रुपये जुर्माना राशि नहीं भरी थी उन्हें जुर्माना राशि भरने हेतु दिनांक 20.05.2020 से 25.05.2020 तक समय दिया जा रहा है। सम्बन्धित विद्यालयों को इस बारे एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। विद्यालयों की सूची बोर्ड वैबसाईट पर उपलब्ध है।

उन द्वारा यह भी बताया गया कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन (छ।)/आंतरिक एवं बाह्य प्रायोगिक परीक्षा के अंक ऑनलाईन निर्धारित समय तक नहीं भरे थे ऐसे विद्यालयों से भी जुर्माना राशि ली जायेगी। सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी दोनों परीक्षाओं हेतु जुर्माना अलग–अलग लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त उन द्वारा बताया गया कि जुर्माना राशि भरने के लिए बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिये गये पोर्टल पर भरा जाना है। जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय दिनांक 20.05.2020 से 25.05.2020 तक जुर्माना नहीं भरा जायेगा उनका परीक्षा परिणाम रोका जायेगा।